17/7/23

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के समन डाक द्वारा भेजकर, पोस्ट ऑफिस की डिलेवरी रिपोर्ट पेश की। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गयी। बावजूद आवाजें दिलाने के विपक्षीगण अनुपस्थित रहा। विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थीगण के बहस सुनी गयी। आदेश अलग से लिखकर आकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 47/2023

प्रार्थीगण :-

1. अचला पुत्र मोटा
2. उम्मेदाराम पुत्र भीखाराम
3. कुम्भाराम पुत्र भीखाराम
4. गोरखाराम पुत्र जोराराम
5. चेना पुत्रआसूराम
6. जेठीदेवी पत्नी भीखाराम
7. जालाराम पुत्र भीखाराम
8. ताजाराम पुत्रपीराराम
9. धर्मा पुत्र आसूराम
10. धीरा पुत्र मोटा
11. प्रकाश पुत्र भीखाराम
12. मूली पत्नी जोराराम
13. रूगनाथराम पुत्र भीखाराम
14. रूपाराम पुत्र भीखाराम
15. रामा पुत्र आदू
16. हिमथाराम पुत्र जोराराम

कौम जाट साकिन वांकलसर ग्रा.पं. मंगले की बेरी तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. पदमाराम पुत्र सोनाराम कौम मेगवाल निवासी वांकलसर
2. अमेदाराम पुत्र शेराराम
3. वीरमाराम पुत्र वालाराम
4. चेनाराम पुत्र वालाराम
5. अमराराम पुत्र वालाराम
6. गंगाराम पुत्र वालाराम कौम जाट निवासी मंगले की बेरी
7. पूनमाराम पुत्र मालाराम
8. कंवराराम पुत्र गुलाराम
9. रामचन्द्र पुत्र गुलाराम
10. अमेदाराम पुत्र गुलाराम
11. धापू पत्नी टीकूराम
12. तोगाराम पुत्र टीकूराम नावालिग वली माता धापू पत्नी टीकूराम
13. धनाराम पुत्र भारमल
14. पूराराम पुत्र भारमल
15. हेमा पुत्र पना
16. देदा पुत्र पना
17. अचलाराम पुत्र भेराराम
18. भारूराम पुत्र सोनाराम
19. सोनी पत्नी सोनाराम
20. रतना पुत्र जेठाराम
21. लालाराम पुत्र हीराराम
22. वनु पत्नीदानाराम
23. खेमाराम पुत्र हीराराम
24. गवरी पत्नी हीराराम
25. दमाराम पुत्र हीराराम
26. बाबूलाल पुत्र दानाराम
27. भगवाना पुत्र जेठाराम
28. पूनमा पुत्र खरथा
29. पूरा पुत्र वाला
30. पदमा पुत्र खरथा
31. जोगा पुत्र वाला
32. मूला पुत्र वाला
33. मगा पुत्रवाला

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

. भेरा पुत्र वाला
5. काना पुत्र स्वरूपा
6. गंवरी पत्नी वाला
जाति जाट निवासी वांकलसर ग्रा.पं.मंगले की बेरी तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर
37. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नौखड़ा जिला बाड़मेर

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित

1. श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 17.07.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा वांकलसर पटवार क्षेत्र मंगले की बेरी के खेत खसरा नम्बर 4/3, 4/1 रकबा क्रमशः 18.1380, 32.9252 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखड़ा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि तहसील वांकलसर पटवार क्षेत्र मंगले की बेरी के खेत खसरा नम्बर 4/3, 4/1 रकबा क्रमशः 18.1380, 32.9252 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखड़ा को 500/– शुल्क पर कमीशनर

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखड़ा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 17/7/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी